न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/04/2008

वउनवान

1. सूरज पुत्र श्रीनाथ जाति जोगी निवासी बसेठ तहसील कठूमर

_____ अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मसारी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बसेठ तहसील कठूमर
2. शान्ती पुत्री ईशर पत्नी मानसिंह जोगी निवासी बसेठ हाल सिकरोदा मकान नम्बर 34 सुभाषपुरा बोदला चौराहा आगरा(यू.पी.)
3. बन्ता पुत्री ईशर पत्नी शम्भूदयाल जाति जोगी निवासी बसेठ हाल नंगला पोस्ट खानपुर जाट जिला अलवर
4. सन्ता पुत्री ईशर पत्नी गोबिन्दराम जाति जोगी निवासी बसेठ हाल भजेडा पोस्ट शिबला जिला मथूरा(यू.पी.)

_____ रेस्पो0

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत बसेठ

दिनांक 05.11.2007 इन्तकाल संख्या

1592 वाके ग्राम बसेठ

उपस्थित :–

श्री सुभाशचन्द अर्रूवा : वकील अपीलाण्ट

श्री भागचन्द जैन : वकील रेस्पो0सं0 2–4

निर्णय

दिनांक 18.06.2018

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि भोलानाथ पुत्र गोरधननाथ अपीलान्ट तथा रेस्पो0सं0 2 लगायत 4 का भी ताउ था

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट एवं रेस्पो0 एक ही बुजुर्ग श्री गोरधननाथ के वारीसान है। गोरधननाथ के 4 पुत्र थे जो क्रमशः भोलानाथ, ईशरनाथ, श्रीनाथ, सोन्याराम थे जिनमें से सोन्याराम बिला औरत फोत हो गया था तथा ईशरनाथ के तीन पुत्रिया रेस्पा0 है तथा श्रीनाथ के अपीलान्ट है जिसने भोलानाथ की वसीयत प्राप्त की है। भोलानाथ ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट को एक वसीयतनामा दिनांक 23.06.97 को तहरीर कराकर अपीलान्ट को सुपुर्द कर दी थी। मृतक भोलानाथ की समस्त चलबो अचल सम्पत्ति का बिरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के हक में दर्ज तस्दीक करना चाहिए था। लेकिन रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 4 ने विधि विरूद्ध भोलानाथ की विरासत इन्तकाल अपीलान्ट के हक मे 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 2 लगा0 4 के हक में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिनांक 05.11.07 को बिना अपीलान्ट के सुनवाई का अवसर प्रदान किए फैसल कर दिया। इन्तकाल संख्या 1592 निर्णय दिनांक 05.11.2007 की सर्वप्रथम अपीलान्ट को 15.11.2007 को रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट को धमकी देने पर हुई। जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पो0 से समक्ष इन्द्राज दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो रेस्पो0 2 लगा0 4 अपीलान्ट को टालती रही। 05.05.2008 को रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 4 ने इन्तकाल दुरूस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया। उक्त इन्तकाल की जानकारी दिनांक 15.11.2007 से दिनांक 06.05.2008 तक टाल बाल करने की अवधि को कण्डोन करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 1592 वाके ग्राम बसेठ फैसल दिनांक 05.11.2007 ग्राम पंचायत बसेठ को निरस्त कर अपीलाण्ट के हक में इन्तकाल दर्ज वो तस्दीक करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सं0 2–4 मय अधिवक्ता हाजिर आये।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2064 से 20(वाके ग्राम बसेठ वीसयतनामा दिनांक 23.06.1997 नामान्तकरण सं0 1592 वाके ग्र बसेठ की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि भोलानाथ ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट को एक वसीयतनामा दिनांक 23.06.97 को तहरीर कराकर अपीलान्ट को सुपुर्द कर दी थी। मृतक भोलानाथ की समस्त चलवो अचल सम्पत्ति का विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के हक में दर्ज तस्दीक करना चाहिए। रेस्पो0 सं0 2–4 ने ग्राम पंचायत से मिलकर इन्तकाल अपीलान्ट के हक मे 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 2 लगा0 4 के हक में 1/2 हिस्सा दर्ज कर गैरकानूनी ढंग से स्वीकार कराया है। जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करली जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि इन्तकाल संख्या 1592 वाके ग्राम बसेठ सही है अपील गलत तथ्यों पर पेश की गयी है जो खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

अपीलाधीन विरासत ना.क.संख्या 1592 दिनांक 05.11.2007 मृतक खातेदार भोला पुत्र गोरधन जोगी के कानूनी वारीसान के नाम मुताबिक सजरा स्वीकृत किया गया है। अपील में अपीलान्ट ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि प्रत्यर्थीगण(रेस्पोन्डेंट्स) मृतक खातेदार भोलानाथ के वारिस है। अपीलान्ट नें अपील का मूल आधार भोलानाथ की वसीयत को बनाते हुए मृतक की खातेदारी की भूमि तन्हा अपने हक में दर्ज करने का निवेदन किया है। वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के हक, अधिकारों की घोषणा नामान्तकरण अपील में किया जाना संभव नहीं है।

Scanned by CamScanner

इसके लिये वादी सक्षम स्तर पर चाराजोही करें। भोलानाथ की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1592 दिनांक 05.11.2007 कानूनी वारीसान के नाम सही स्वीकृत किया गया है। अपील खारिज की जाती है।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 18.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner